कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर।

(केन्द्रीय नजारत अनुभाग)

सूचना

जनपद न्यायालय, गोरखपुर के मुख्यालय एवं बाह्य न्यायालय, बांसगाँव स्थित विभिन्न न्यायालयों/अनुभागों/कार्यालयों में उपलब्ध कुल 23 अदद खराब प्रिंटरों का अनुरक्षण (Repairing) किये जाने के संबंध में क्रय समिति, जपनद न्यायालय, गोरखपुर की आख्या दिनांकित 13.09.2023, जो कि माननीय जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर महोदय द्वारा दिनांक 15.09.2023 को स्वीकृत है, के अनुपालन में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रिंटरों का अनुरक्षण आगणन के माध्यम से किया जाना है। इच्छुक व्यक्ति/फर्म अपना आगणन दिनांक 23.09.2023 के सायं 04:00 बजे तक केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, गोरखपुर में केन्द्रीय नाजिर के समक्ष बंद लिफाफे में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। प्राप्त सभी आगणन को दिनांक 25.09.2023 को सायं 04:30 बजे अद्योहस्ताक्षरी के विश्राम कक्ष में खोला जायेगा। निविदा किसी भी कार्य दिवस पर केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, गोरखपुर से निर्धारित शुल्क मु0-100/-रु. जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। सभी निविदादाताओं को धरोहर के रूप में मु0-15,000/-रु. की धनराशि नगद अथवा चेक के माध्यम से निविदा के साथ केन्द्रीय नजारत में जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकृत न होने की दशा में धरोहर धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्यदिवस पर संबंधित को वापस कर दी जायेगी।

निविदा प्रक्रिया के नियम व शर्तें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाईट **www.allahabadhighcourt.in** एवं जनपद न्यायालय, गोरखपुर की आधिकारिक वेबसाईट **https://districts.ecourts.gov.in/gorakhpur** पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त निविदा से सम्बन्धित अन्य विवरण न्यायालय के सूचना पट्ट अथवा केन्द्रीय नजारत से किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त की जा सकती है।

16/09/23

(सुबोध वार्ष्णेय)
अध्यक्ष क्रय समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश/
वि.न्या. (यू.पी.एस.ई.बी.)
गोरखपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित–

1. नाजिर आयुक्त कार्यालय, गोरखपुर।
2. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट, गोरखपुर।
3. नाजिर तहसील सदर, गोरखपुर।
4. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, गोरखपुर।
5. मुख्य विकास अधिकारी, विकास भवन, गोरखपुर।
6. जिला सूचना अधिकारी, गोरखपुर में समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
7. सूचना पट्ट दीवानी न्यायालय, गोरखपुर पर चस्पा करने हेतु।
8. सिस्टम अधिकारी दीवानी न्यायालय, गोरखपुर को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय, गोरखपुर की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. रेलवे जंक्शन, गोरखपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
10. बस स्टेशन, गोरखपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर।

न्यायिक प्रतिष्ठान, गोरखपुर के प्रयोगार्थ मुख्यालय एवं वाहय न्यायालय बॉसगॉव में स्थित विभिन्न न्यायालयों/कार्यालयों/अनुभागों में उपलब्ध खराब प्रिंटरों की मरम्मत कराये जाने हेतु निविदा की

नियम एवं शर्ते

1. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार जनपद न्यायालय, गोरखपुर स्थित मुख्यालय एवं वाहय न्यायालय बॉसगॉव के विभिन्न न्यायालयों/कार्यालयों/अनुभागों में उपलब्ध खराब प्रिंटरों के मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 23.09.2023 के सायॅकाल 04:00 बजे तक पंजीकृत एवं अधिकृत फर्मो से सीलबन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती है। नियत तिथि के उपरान्त कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली पंजीकृत/अधिकृत फर्म, सेल टैक्स व राज्य को जमा किये जाने वाले अन्य करों हेतु पंजीकृत होनी चाहिए।
3. सभी प्राप्त निविदाओं को दिनांक 25.09.2023 को सायॅकाल 04:30 बजे समिति के समक्ष खोला जायेगा। निविदा खुलने के समय फर्म अपने अधिकृत व्यक्ति को भेज सकती है।
4. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म सभी करो को सम्मिलित करते हुए ही अपना कोटेशन/दर प्रस्तुत करे।
5. निविदा किसी एक या समस्त सामग्रियों की अलग–अलग या एक साथ भी प्रस्तुत की जा सकती है।
6. निविदाएं किसी भी कार्य दिवस पर केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, गोरखपुर से निर्धारित शुल्क रु0 100.00 जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।
7. निविदा जमा करते समय फर्म को धरोहर धनराशि के रूप में मु०–15,000.00 (रुपये पन्द्रह हजार मात्र) जमा करना अनिवार्य होगा।
8. धरोहर धनराशि वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के पैरा 71 के अनुसार राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंकों के मियादी जमा रसीदों, बैंक जमा रसीदों इत्यादि के रूप में जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर के पक्ष में अथवा नकद रूप में केन्द्रीय नजारत में जमा किया जा सकता है।
9. फर्म की निविदा स्वीकृत न होने की दशा में उनके द्वारा जमा को गयी धरोहर धनराशि निविदाएं खुलने की तिथि अथवा अगले कार्यदिवस पर सम्बन्धित को वापस कर दी जायेगी।
10. निविदाएं किसी भी दशा में खुलने की नियत तिथि दिनांक 25.09.2023 से पूर्व दिनांक 23.09.2023 को अपरान्ह 04:00 बजे तक केन्द्रीय नजारत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्राप्त करवा दी जाय। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त किसी भी निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
11. निविदा के आवंटित होने के उपरान्त आवंटी फर्म को एक माह के अन्दर उक्त कार्य को पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
12. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र मात्र जनपद न्यायालय, गोरखपुर का ही होगा।
13. निविदाओं की नियम व शर्ते किसी भी कार्यदिवस पर केन्द्रीय नजारत से अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अधिकारिक वेबसाईट www.allahabadhighcourt.in तथा जनपद न्यायालय, गोरखपुर की अधिकारिक वेबसाईट www.dcgor.in पर प्राप्त की जा सकती है।

16-09-23	16/09/2023	16/09/23
(विकास सिंह)	(पंकज श्रीवास्तव)	(सुबोध वार्ष्णेय)
सदस्य समिति/	सदस्य समिति/	अध्यक्ष समिति/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0,गोरखपुर।	अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/ कोर्ट संख्या–06, गोरखपुर।	अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (यू0पी0एस0ई0बी0), गोरखपुर।